

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 26.12.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 26.12.2022 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, सदस्य
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री गोविन्द गुप्ता, सदस्य
उप शासन सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री दिलबाग सिंह, सदस्य
उप निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

(अ) पूर्व में आयोजित बैठकों में जेल दण्ड से दण्डित बन्दियों के प्रकरण:-

पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 23.02.2022 एवं 10.03.2022 में निम्न बन्दियों को खुला बन्दी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु बन्दियों को जेल दण्ड से दण्डित किये जाने के कारण खुला बन्दी शिविर में नहीं भिजवाया गया था। बन्दियों को दिये गये जेल दण्ड की अवधि को 02 वर्ष पूर्ण होने पर कारागृह से प्राप्त सूचना के आधार पर 11 बन्दियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

९- ५

५

५

५

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	विशेष विवरण
1.	कमला पुत्र देलिया	के.का. उदयपुर	-
2.	प्रभुलाल पुत्र गणेश	के.का. उदयपुर	-
3.	लालू उर्फ लालजी पुत्र वागजी	के.का. उदयपुर	-
4.	बापु लाल पुत्र कमजी	के.का. उदयपुर	-
5.	शैतान पुत्र अमरा	के.का. उदयपुर	-
6.	राजु उर्फ राजिया पुत्र लसिया	के.का. उदयपुर	-
7.	हरसेंग पुत्र मंगला	के.का. उदयपुर	-
8.	नानुदास उर्फ रामेश्वर पुत्र शंकरदास	के.का. उदयपुर	-
9.	हरिश उर्फ हरिशंकर पुत्र खुबीलाल	के.का. उदयपुर	-
10.	ललित पुत्र जिवा	के.का. उदयपुर	-

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	विशेष विवरण
1.	विपिन उर्फ विवेक उर्फ विकेश उर्फ विका पुत्र धन्ना	के.का. उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित।

(ब) पूर्व में आयोजित बैठकों में अन्य प्रकरण विचाराधीन होने से अस्वीकृत किये गये बन्दियों के प्रकरण:-


पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 10.03.2022 में निम्न बन्दियों, जो कि एक ही प्रकरण में निरूद्ध है, के विरूद्ध अन्य प्रकरण विचाराधीन (जमानत पर) होने के कारण खुला बंदी शिविर, प्रकरण अस्वीकृत किये गये थे। कारागृह से प्राप्त सूचना के अनुसार बन्दियों के विरूद्ध लम्बित अन्य प्रकरण संख्या-82/2012 का दिनांक 22.11.2022 को निस्तारण होने पर 03 बन्दियों के प्रकरण समिति के

4: 2 3 An


समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-


क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	विशेष विवरण
1.	पप्पू उर्फ रामजीलाल पुत्र किशनलाल	वि.के.का. श्यालवास दौसा	-
2.	बाबूलाल पुत्र किशनलाल	वि.के.का. श्यालावास दौसा	-
3.	रामौतार पुत्र रामभरोसी	वि.के.का. श्यालावास दौसा	-


सदस्य
उप निदेशक,
सामाजिक
न्याय एवं
अधिकारिता
विभाग,
जयपुर।


सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
उप शासन
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।